B-3 & 4
L-10
I. Polity

न्यायालय के द्वारा तार्किक प्रतिबंध के लिए निर्मित सिद्धांत :-

- उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करते समय प्रक्रिया उचित होनी चाहिए अतः किसी फिल्म को सेंसर करने से पूर्व सेंसर बोर्ड को फिल्म देखना होगा और निर्माता को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।
- प्रतिबंध का अनुपात या मात्रा भी तार्किक होनी चाहिए जिसे तत्वात्मक प्रतिबंध भी कहा जाता है। क्योंकि प्रतिबंध का उद्देश्य स्वतंत्रता को समाप्त करना नही अपितु स्वतंत्रता के दुरूपयोग को सीमित करना है।

प्रेस की स्वतंत्रता :-

- अनुच्छेद-19 लोकतंत्र का मूल आधार है क्योंकि अभिव्यक्ति के अलावा किसी भी नागरिक को धरना-प्रदर्शन, समूह संगठन बनाने का भी अधिकार है।
- लोकतंत्रमें उत्तरदायी और जवाबदेही सरकार का निर्माण होता है और प्रेस के माध्यम से विपक्ष और नागरिक अपनी आवाज उठाता है जिससे सरकार जवाबदेह बन सके

Scanned by CamScanner

इसलिए प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है।

• प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही अन्तर्निहित है। (इण्डियन एक्सप्रेस वाद)

• इसीलिए प्रेस पर लागू होने वाला प्रतिबंध भी नागरिकों के लिए प्रतिबंध के समान है प्रेस को श्रम अथवा करारोपण के मामले में, श्रम कानून के मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं है।

• अमेरिका और यूरोपीय देशों में प्रेस पर सेंसर का कोई प्रावधान नही है लेकिन भारत में किसी सामग्री के प्रकाशित होने के पहले और बाद में दोनों परिस्थितियों में सेंसर किया जा सकता है।

• प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए सेंसर के अलावा अन्य तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है जैसे - किसी व्यक्ति को T.V. चैनल स्थापित करने के लिए लाइसेंस न देना, या किसी टेलीविजन कम्पनी के विदेशों से आयातित होने वाले मशीन अथवा उपकरणों को प्रतिबंधित करना प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

Scanned by CamScanner

• प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं-

(i) मीडिया का बढ़ता व्यवसायीकरण।

(ii) मीडिया ट्रायल।

(iii) खबरों को सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष :-

मीडिया लोकतंत्र के लिए आक्सीजन है और यदि सरकार इसे नियंत्रित करेगी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा होगा। इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया को और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है जिससे मीडिया की स्वायत्तता बनी रहे लेकिन उसका दुरूपयोग भी न हो सके।

Scanned by CamScanner

कार्य की स्वतंत्रता :-

अनुच्छेद 19 में उल्लेखित विभिन्न स्वतंत्रताओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है

(a) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(b) कार्य की स्वतंत्रता

कार्य की स्वतंत्रता में सम्मेलन, समूह संगठन का निर्माण, समूचे भारतीय क्षेत्र में आवागमन, निवास करना, बस जाना और व्यवसाय की स्वतंत्रता भी शामिल है।

- कार्य की स्वतंत्रता पर भी संविधान में प्रतिबंध आरोपित है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार नही है और दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करना ही हानि का सिद्धांत (Harm principle) कहलाता है।
- नागरिक को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन उसके निर्धारित स्थान होने चाहिए और राजमार्ग को बाधित करना अथवा रेल ट्रेक को रोकना दूसरे व्यक्ति के आवागमन के अधिकार को सीमित करता है इसलिए संवैधानिक नही है।
- व्यक्ति को भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है लेकिन किसी भी नागरिक को अनुसूचित क्षेत्र में

Scanned by CamScanner

अथवा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में बसने और निवास करने का अधिकार नहीं है।

• स्वतंत्रता में व्यवसाय करने का अधिकार भी शामिल है लेकिन इस पर निम्नलिखित प्रतिबंध भी हैं-

(i) किसी भी व्यवसाय के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है।

(ii) किसी भी व्यवसाय को राज्य के द्वारा निजी व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है अथवा इस पर राज्य अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है।

स्वतंत्रता और न्यायालय के निर्णय :-

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में पहला विवाद रामेश थापर वाद (1950) में उत्पन्न हुआ था।

• परिणाम-स्वरूप स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए पहला संविधान संशोधन लाया गया जिसके द्वारा अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया और इसमें लोक व्यवस्था विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध तथा अपराध को बढ़ावा देने वाले प्रावधान भी शामिल कर दिए गए।

• नशा उपद्रवी गतिविधियों को देखते हुए 16वाँ संविधान संशोधन लाया गया।

Scanned by CamScanner

अनुच्छेद 19(1) में अखण्डता शब्द को भी जोड़ा गया।

- अभिव्यक्ति के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है और जानने का अधिकार भी शामिल है और इसी आधार पर भारत में सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। (Association for Democratic Reforms case)

- उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि झंडा फहराना भी अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल है (नवीन जिंदल केस) और न्यायालय का यह भी तर्क है कि सरकार इंटरनेट को अनिश्चित काल तक के लिए बंद नहीं कर सकती (अनुराधा भसीन वाद (2020)) क्योंकि इससे व्यक्ति की व्यवसायिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

सोशल मीडिया और स्वतंत्रता :-

- अभिव्यक्ति का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है लेकिन विभिन्न डिजिटल अभिव्यक्ति के माध्यमों के आने से कोई विदेशी नागरिक भी भारत के लिए वक्तव्य दे सकता है, फिल्म बना सकता है।

Scanned by CamScanner

• भारत में सोशल मीडिया ओर पर नियंत्रण के लिए पहली बार 2021 में सूचना तकनीकी नियंत्रण गाइडलाइन का निर्माण किया गया और वर्ष 2023 में भारत सरकार के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग के सम्बन्ध में एक नए विधेयक के निर्माण का प्रारूप निर्मित किया गया जिसके आधार पर डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने हेतु विधि का निर्माण किया जा सके।

अनुच्छेद - 19 समाप्त

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

भूतलक्षी विधि का सिद्धांत :- (Ex Post facto Low)

- अनुच्छेद -२० (1) में यह उल्लेखित किया गया है कि आपराधिक मामलों में कोई भी विधि अपने निर्माण के तिथि से पहले / अतीत से लागू नही की जा सकती, जिसका अभिप्राय है की आपराधिक मामले में विधि का क्रियान्वयन सदैव भविष्य लक्षी ही होगा।
- यदि किसी आपराधिक विधि में संशोधन किया जाता है और दण्ड की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो भी इसे अतीत से लागू नही किया जाएगा। लेकिन यदि किसी अपराधिक मामले में दण्ड की मात्रा कम की जाती है तो अभियुक्त को इसका लाभ होगा।

KHAN SIR
Most Trusted Learning Platform
Scanned by CamScanner